



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 2012/कार्तिक 4, 1934

No. 550]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2012/KARTIKA 4, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2012

सा.का.नि. 791(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन आदेश, 2012 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 (इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा जाएगा) के खंड (2) में,-

(क) उपखंड (न) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(न) “अधिप्रमाणन के अन्य प्रकार” से विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या के सत्यापन के लिए खोज गए और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पद्धतियां अभिप्रेत है, जहां ग्राहक जीव सांख्यिकी अधिप्रमाणन पूरा करने में समर्थ नहीं है ;’;

(ख) उपखंड (प) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(फ) “अपने ग्राहक को जानो” से ग्राहक के बारे में समय-समय पर यथा आवश्यक इलेक्ट्रानिक और/या समुचित प्रारूप में विभिन्न ब्यौरे अभिप्रेत हैं ।’।

3. उक्त आदेश के खंड 3 में,-

(क) उपखंड (1) में, मद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“घ) सिलेंडर में भरी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वह व्यक्ति जिसके नाम से गैस कनेक्शन जारी किया गया है तब तक अपने अधिकार में नहीं रखेगा, यदि उसकी गृहस्थी अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित है, जब तक उक्त क्षेत्र के अधिसूचना की तारीख के तीन मास के भीतर आधार संख्या न प्राप्त कर ले ;

(ङ) सिलेंडर में भरी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वह व्यक्ति जिसके नाम से गैस कनेक्शन जारी किया गया है तब तक अपने अधिकार में नहीं रखेगा जब तक वह “अपने ग्राहक को जानो” संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं करा देता ।”;

(ख) उपखंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय किसी गृहस्थी को नहीं करेगा जब तक कि उसी गृहस्थी के व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन जारी नहीं किया गया हो-

(क) रजिस्ट्रीकृत हुआ है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन द्रवित पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन उसे मंजूर नहीं किया गया हो ; या

(ख) सरकारी तेल विपणन कंपनी से विधिमान्य प्राधिकार न रखता हो ; और

(ग) अपनी गृहस्थी के ऐसे क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर उस वितरक को, यदि गृहस्थी अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित हो, जिससे वह घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुका है या चकी है, आधार संख्या और जीव सांख्यिकी या अधिप्रमाणन की अन्य पद्धतियां पूरी नहीं कर देता है या देती है ; और

(घ) समय-समय पर यथा अधिसूचित प्रारूप में और समय के भीतर “अपने ग्राहक को जानो” पूरा नहीं कर देता है ।”।

4. उक्त आदेश की अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 13, 14 और 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“13. घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का ऐसे व्यक्ति को प्रदाय कराना, जिसे पहले से पाइप वाले प्राकृतिक गैस कनेक्शन है ।

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप

(पाइप से प्राकृतिक गैस प्रदाय करने वाली कंपनियों के लिए)

1. किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के विद्यमान उपभोक्ता को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन को पाइप वाला प्राकृतिक गैस कनेक्शन अभिप्राप्त करने की तारीख से साठ दिन के भीतर समर्पण या सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के वचनबंध के बिना पाइप प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्रदाय करना ।

2. किसी सरकारी तेल कंपनी के घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के विद्यमान उपभोक्ता जिसने, घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन का समर्पण या सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखा है को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन अभिप्राप्त करने की तारीख से साठ दिन के पश्चात् पाइप से प्राकृतिक गैस का प्रदाय जारी रखना ।

14. अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित किसी गृहस्थी के लिए जो विशिष्ट पहचान संख्या नहीं रखता है और/या और बिना अपने ग्राहक को जानो के जीव सांख्यिकी अधिप्रमाणन की पद्धतियों और बिना अपने ग्राहक को जानो के लिए किसी व्यक्ति को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन जारी रखना” ”।

[फा. सं. पी-17011/4/2007-एमकेटी]

डॉ. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा0का0नि0 487(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 177(अ), तारीख 6 मार्च, 2002, सा0का0नि0 संख्यांक 730(अ), तारीख 22 नवंबर, 2007, सा0का0नि0 संख्यांक 655(अ), तारीख 10 सितंबर, 2009, सा0का0नि0 संख्यांक 452(अ), तारीख 26 मई, 2010, सा0का0नि0 संख्यांक 718(अ), तारीख 26 सितंबर, 2011 और सा0का0नि0 संख्यांक 647(अ), तारीख 22 अगस्त, 2012 द्वारा संशोधन किया गया ।

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
ORDER**

New Delhi, the 25th October, 2012

G.S.R. 791(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely:-

- (1) The Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 (herein after referred to as the said order), in clause(2),-

(a) for sub-clause(t), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

'(t) "other modes of authentication" means verifying the unique identification number through any other methods devised by Unique Identification Authority of India and accepted by Ministry of Petroleum and Natural Gas, in case customer is not able to complete biometric authentication,';

(b) after sub-clause (u), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

'(v) "Know Your Customer" means various details about the customer in electronic and/ or paper format and as mandated from time to time.'

3. In clause 3 of the said order,-

(a) in sub-clause (1), for item (d), the following items shall be substituted, namely:-

"(d) possess liquefied petroleum gas filled in cylinder unless the person in whose name gas connection has been issued, obtains Aadhaar Number within three months from the date of notification of such area if that household is located in the notified area;"

(e) possess liquefied petroleum gas filled in cylinder unless the person in whose name gas connection has been issued, provides the "Know Your Customer" details.";

(b) for sub-clause (3), the following sub-clause shall be substituted namely:-

"(3) No distributor of a Government Oil Company shall supply Liquefied Petroleum Gas filled in cylinder to any household unless the person of such household in whose name connection has been issued-

(a) has been registered and granted a connection for liquefied petroleum gas under the public distribution system, or

(b) holds a valid authorization from the Government Oil Marketing Company; and

(c) furnishes the Aadhaar Number and completes biometric or other modes of authentication at the distributorship from whom he or she has obtained the domestic liquefied petroleum gas connection, within three months from the date of notification of such area, provided the household is located in the notified area; and

(d) completes the "Know Your Customer" within the time and format as notified from time to time."

4. In Schedule I to the said Order, for serial number 13, 14 and 15 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely,-

"13. Providing domestic Liquefied Petroleum Gas connection to a consumer who is already owning a Piped Natural Gas connection.

Prohibited Activities

(for Piped natural Gas providing companies)

1. Providing piped Natural Gas connection to an existing consumer of domestic Liquefied Petroleum Gas of a Government oil Company, without obtaining an undertaking to surrender or to keep in safe custody the Liquefied Petroleum Gas connection within sixty days from the date of obtaining Piped Natural Gas connection.

4058 GI/12-2

2. Continue to supply piped natural gas to an existing consumer of domestic Liquefied Petroleum Gas of a Government Oil Company who has not surrendered or kept in safe custody the domestic Liquefied Petroleum Gas connection after sixty days from the date of obtaining Piped Natural Gas connection.

14. Issue liquefied Petroleum Gas Connection to any household located in the notified area and not possessing the Unique identification Number and/or without biometric or other modes of authentication of the Unique Identification Number and without providing "Know Your Customer" ".

[F. No. P-17011/4/2007-Mkt]

Dr. NEERAJ MITTAL, Jt. Secy.

Note :— The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i) vide Number G.S.R. 487 (E), dated the 26th April, 2000 and subsequently amended by G.S.R.177(E) dated the 6th March, 2002, G.S.R. 730(E), dated the 22nd November, 2007, G.S.R. 655(E), dated the 10th September, 2009, G.S.R. 452(E), dated the 26th May, 2010, G.S.R. 718(E), the dated 26th September, 2011 and G.S.R. 647 (E) dated 22nd August, 2012.